आयोजनागत-राज्य सेक्टर

संख्या-33/2015-1163/चौदह-4-2015-500(27)/2014

प्रेषक,

शहजादे लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वन अनुभाग- 4 लखनऊ, दिनांक, 03 जुलाई, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष-2015-16 में जैव विविधता केन्द्र, कुकरैल वन खण्ड, लखनऊ योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 2107.44 लाख के सापेक्ष रू0 880.97 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र सं0-पी-2546/36-बी-46 (कुकरैल जू0) दिनांक 15.06.2015 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव/प्रस्तावित कार्य के विवरण के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान संख्या-60 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत 'जैव विविधता केन्द्र, कुकरैल वन खण्ड, लखनऊ योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 2107.44 लाख के सापेक्ष रू0 880.97 लाख (रू0 आठ करोड़ अस्सी लाख सत्तान्वे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	स्वीकृत धनराशि (रू0 हजार में)
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत	
02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव	
111- चिड़ियाघर	
08-जैव विविधता केन्द्र, कुकरैल वन खण्ड, लखनऊ (सी0सी0एल0 प्रणाली)	
24-वृहत निर्माण कार्य	60698
25- लघु निर्माण कार्य	27399
योग-	88097

(रू0 आठ करोड़ अस्सी लाख सत्तान्वे हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्य व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आंगणन के अनुसार कराये जायेंगे तथा समस्त वैधानिक अनुमति संबंधित वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोई उललेखनीय परिवर्तन जेसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि, इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

3- योजनान्तर्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढ़ाये नहीं जायेंगे।

4- योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- व्यय को निर्धारित मानमानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समापित पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

6- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे।

7- इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 15.06.2015 के साथ संलग्न प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0- 1135/7-4(जैव विविधता केन्द्र) दिनांक 11.06.2015 में उल्लिखित कार्यमदों में ही धनराशि का व्यय किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शहजादे लाल)
संयुक्त सचिव

संख्या-1163(1)/चौदह-4-2015-500(27)/2014 तदिदनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं क़षि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
9- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(शहजादे लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in